न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः– राकेश कुमार मीना आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 139 / 2023
वादपत्र अन्तर्गत धारा :– 88 आरटीए

अनिल कुमार पुत्र रूघाराम जाति जाट निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ (राज.)।

– वादी

बनाम्

1. रूघाराम पुत्र लेखराम जाति जाट निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ (राज.)।
2. प्रहलादराम पुत्र लेखराम जाति जाट निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ (राज.)।
3. रिन्कू पुत्री रूघाराम जाति जाट निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ (राज.)।
4. तहसीलदार (राजस्व) तह. संगरिया।

प्रतिवादीगणं

उपस्थित :–

1– श्री बलवन्त झोरड़ वकील वादी
2– श्री संजय धारणियां– वकील प्रति सं. 1 ता 3
3– तहसीलदार राजस्व संगरिया– राज–पैरोकार प्रति.संख्या 4

दिनांक :– 1-4-2024

निर्णय

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि चक 9 एसबीएन के खाता संख्या 72/61 में वादी के पिता प्रतिवादी सं. 1 व प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से 1.523 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के संयुक्त परिवार की साझा कृषि भूमि है। जिसमें वादी का जन्म से हक व हिस्सा बनता है। चक 09 एसबीएन के खाता संख्या 72/61 में वादी को घरू विभाजन में 0.761 है. कृषि भूमि प्राप्त हुई है। जिसका वादी खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी व दावेदार है। वादपत्र कि चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने घरू विभाजन कर लिया है। प्रतिवादी संख्या 3 ने घरू विभाजन अनुसार अपने हक व हिस्सा का परित्याग वादी के पक्ष में कर दिया है। उक्त कृषि भूमि के कब्जा काश्त बाबत कोई [illegible] प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने उपरोक्तानुसार खाता की कृषि भूमि का घरू विभा[illegible] लिया है। घरू विभाजन के अनुसार ही वादी खाता विभा[illegible] निम्नप्रकार से दावेदार है। वादी को घरू विभाजन में प्राप्त कृषि भूमि [illegible] किवादी को घरू विभाजन में प्राप्त कृषि भूमिः–

चक 9 एस.बी.एन. खाता सं. 72/61

प. नं.	मु. नं.	किला नं.
194/201	66	6/2/0.170है.,7,14/0.253है.प्र. 15/2/0085है.

किला नं. 6 के चिपता वादी मौका पर वाद–पत्र की चरण सं. 5 के अनुसार ही काबिज है कब्जा काश्त बाबत् किसी तरह

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी.

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.04.26 11:29:27
Reason: SelfAttested

जवाब दावा भी पेश किये जा चुके है तथा वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। प्रतिवादी संख्या 1 रूघाराम वादी अनिल का पिता है एवं प्रतिवादी संख्या 03 रिन्कू वादी अनिल कुमार की सगी बहिन है। वादग्रस्त आराजी वाद पत्र के वर्णितानुसार चक 09 एसवीएन के खाता संख्या 72/61 खाता प्रहलाद वगैरा जमाबन्दी सम्वत 2070-73 में 1/2 हिस्सा आराजी प्रतिवादी संख्या 1 रूघाराम के नाम दर्ज है जो प्रदर्श 1 से साबित है। प्रतिवादी सख्ंया 1 ने जरिये अधिवक्ता अपना काउन्टर क्लेम विड्रो कर वाद डिक्री किये जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान कर दी है एवं प्रतिवादी संख्या 2, 3 की ओर से भी सहमति का जवाबदावा पेश है। जिससे वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि हो रही है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया गया। प्रकरण में सहमति समस्त पक्षकार सहमत है। परिणाम स्वरूप वाद वादी मुताबिकं सहमति अनुसार डिक्री किया जाना एवं प्रतिवादी संख्या 1 काउण्टर क्लेम विड्रो में खारिज कर वाद वादी आंशिक डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी उक्त विवेचन के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि:- प्रतिवादी संख्या 1 रूघाराम पुत्र लेखराम के नाम चक 09 एसवीएन खाता संख्या 72/61 खाता प्रहलादराम वगैरा ज.स. 2070-2073 सांझा खाता में दर्ज आराजी का वादी अनिल कुमार को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 रूघाराम पुत्र लेखराम का नाम कलमजन किया जाता है तथा वाद पत्र की चरण संख्या 5 के अनुसार खाता अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 1.4.2024 .... को मेरे द्वारा ... खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.04.26 11:29:27 IST
Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, नगरिया
अधिकारी
नगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री बमुकदमा इन्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6 7 व्या.प्रक्रिया संहिता

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
वादपत्र अन्तर्गत धारा :– 88 / 53 आरटीए
प्रकरण संख्या: 139 / 2023

अनिल कुमार पुत्र रूघाराम जाति जाट निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
वादी

बनाम

1. रूघाराम पुत्र लेखराम जाति जाट नि.सालीवाला तह.टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. प्रहलादराम पुत्र लेखराम जाति जाट नि.सालीवाला तह.टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. रिन्कू पुत्री रूघाराम जाति जाट नि.सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. तहसीलदार (राजस्व) तह. संगरिया।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री बलवन्त आरड वकील वादी मिन जानिब मुदई श्री संजय धारणियां वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादी संख्या 1 रूघाराम पुत्र लेखराम के नाम चक 09 एसबीएन खाता संख्या 72/61 खाता प्रहलादराम वगैरा ज.स. 2070–2073 सांझा खाता में दर्ज आराजी का वादी अनिल कुमार को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 रूघाराम पुत्र लेखराम का नाम कलमजन किया जाता है तथा वादी का चक 09 एसबीएन के पं.नं. 194/201 मु.नं. 66 किला नम्बर 6/2/0.170 है. किला नम्बर 7,14/0.253 है. प्र. किला नम्बर 15/2/0.085 है. किला नम्बर 6 क विपता अनुसार खाता अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है।

नोट :– यदि वादग्रस्त आराजी बैंक रहन हो तो ऋण चुकता प्रमाण पत्र पेश होने पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

मिजा X नल X मुविक्कल X मिल X बाबत X मिल X खर्चा मुकदमें के मय सूद या शरह फीसदी [illegible] प्रत्यर्थी तक X अदा करें।

बराबा मेरे दस्तखत एवं मुहर [illegible] को जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.04.26 11:29:27 IST
Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
संगरिया